

राजस्थान वित्त निगम  
(एफआर-एआरआरसी अनुभाग)

उद्योग भवन,  
तिलक मार्ग,  
जयपुर -302005

कमांक:आरएफसी / एआरआरसी / 23 / एचओ / 111


दिनांक: 26.04.2008

परिपत्र  
(एआरआरसी नं. 160)

एआरआरसी परिपत्र नं. 114 दिनांक 16/19.12.2005 एवं परिपत्र नं.120 दिनांक 19.01.2006 के द्वारा निविदा की नियम एवं शर्तें जारी किए गए थे। उक्त परिपत्रों की नियम एवं शर्तों में एक और निम्न शर्त लगाने का निर्णय किया गया है :-

“प्रश्नागत इकाई के संबंध में” सेन्ट्रल एक्साईज की बकाया (यदि कोई है तो) का भी भुगतान क्रेता को करना होगा।”

अतः सभी संबंधित शाखा प्रबन्धकों को यह सलाह दी जाती है कि वे इस उपर्युक्त शर्त का ध्यान रखें एवं यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में आगे से इकाइयों के विक्रय के समय निविदा की नियम एवं शर्तों में उपरोक्त नियम एवं शर्त जोड़ दी जावे।

  
(सुमन कुमार विग)  
महाप्रबन्धक (विकास)

प्रतिलिपि:-

1. समस्त शाखा / उप शाखा कार्यालय
2. उप महाप्रबंधक एएण्डआई, सेन्ट्रल जोन, अजमेर
3. उप महाप्रबंधक एएण्डआई, वेस्टर्न जोन, जोधपुर
4. स्टैंडर्ड सर्कुलेशन, मुख्यालय